राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in
हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

दिनांक: 12.11.2018

न्याय/2018/7343

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला/18/36234–35 दिनांक 12.11.2018 से पुलिस थाना ाली झालावाड के अभियोग सं0 548/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त 1– अरशद उर्फ चिन्टा पुत्र मोहम्मद अनिस उर्फ जाति मुसलमान आयु 26 साल निवासी पुरानी जेल रोड झालावाड 2– सिमरान पुत्र अनवर चौधरी जाति मुसलमान आयु 22 साल ी पुरानी जेल रोड झालावाड 3– हैदर अली उर्फ भययू पुत्र शौकत अली जाति मुसलमान आयु 25 साल निवासी नला मोहल्ला वाड 4– रहबर अली पुत्र खादिम अली जाति मुसलमान आयु 23 साल निवासी तांगा अडडा झालावाड 5– अकबर अली पुत्र म अली जाति मुसलमान आयु 21 साल तांगा अडडा झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.09.18 को श्री नैनूराम उप निरीक्षक मय जाप्ता मुखबिर सूचना पर हरिशचन्द्र यम पर पहुंचे तो हनुमान मंदिर के पीछे छिपकर देखा तो 6 व्यक्ति मय हथियारो के चन्द्रावती फिलिग पेट्रोल पंप पाटन रोड को की बाते कर रहे थे जिनको हमराही जाप्ते की मदद से पकड कर नाम पता पूछा तो 1– आरिफ भययू उर्फ घेघरा पुत्र शौकत शाह मुसलमान आयु 35 साल निवासी इमामबाडा झालावाड जिसके कब्जे से एक तलवार मिली 2– अरशद उर्फ चिन्टा पुत्र मोहम्मद स उर्फ अन्नू जाति मुसलमान आयु 26 साल निवासी पुरानी जेल रोड झालावाड के पास एक पिस्टल व मैगजीन मे 3 जिंदा कारतूस मएम के मिले 3– सिमरान पुत्र अनवर चौधरी जाति मुसलमान आयु 22 साल निवासी पुरानी जेल रोड झालावाड के पास एक पिस्टल मैगजीन मे तीन जिदें कारतूस 9 एमएम के एंव एक मोबाईल सैमसंग का मिला 4– हैदर अली उर्फ भययू पुत्र शौकत अली जाति लमान आयु 25 साल निवासी नला मोहल्ला झालावाड के पास एक देशी कटटा मय 2 कारतूस 6.5 एमएम 12 बोर एव एक खाली रतूस मिला 5– रहबर अली पुत्र खादिम अली जाति मुसलमान आयु 23 साल निवासी तांगा अडडा झालावाड के पास एक देशी कटटा 2 कारतूस 6.5 एमएम 12 बोर के मिले जिनमे से एक खाली खोखा व एक जिंदा कारतूस मिला 6– अकबर अली पुत्र खादिम अली ाति मुसलमान आयु 21 साल तांगा अडडा झालावाड के पास से चार कारतूस 9 एमएम व एक मैगजीन व एक तलवार व 2 मोबाईल मले। जिसके अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो अनुज्ञापत्र नही होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध 10 548/18 धारा 399, 402 भादस व 3/25, 5/25, 4/25 आर्म्स एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्व किये गये। अनसुंधान से अभियुक्त 1– अरशद उर्फ चिन्टा पुत्र मोहम्मद अनिस उर्फ अन्नू जाति मुसलमान आयु 26 साल निवासी पुरानी जेल रोड झालावाड 2– सिमरान पुत्र अनवर चौधरी जाति मुसलमान आयु 22 साल निवासी पुरानी जेल रोड झालावाड 3– हैदर अली उर्फ भययू पुत्र शौकत अली जाति मुसलमान आयु 25 साल निवासी नला मोहल्ला झालावाड 4– रहबर अली पुत्र खादिम अली जाति मुसलमान आयु 23 साल निवासी तांगा अडडा झालावाड 5– अकबर अली पुत्र खादिम अली जाति मुसलमान आयु 21 साल तांगा अडडा झालावाड के विरूद्व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया । उक्त जप्तशुदा आर्म्स एंव ऐम्युनेशन का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो आर्मोरर ने रिपोर्ट मे प्रत्येक अभियुक्त से जब्त शुदा आर्म्स एंव एम्युनेशन फायर योग्य तथा फायर आर्म्स व एम्युनेशन की परिभाषा मे आना बताया है। अभियुक्तो के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नेनुराम एसआई व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री योगेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड अस्त्र शस्त्रो को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त 1– अरशद उर्फ चिन्टा पुत्र मोहम्मद अनिस उर्फ अन्नू जाति मुसलमान आयु 26 साल निवासी पुरानी जेल रोड झालावाड 2– सिमरान पुत्र अनवर चौधरी जाति मुसलमान आयु 22 साल निवासी पुरानी जेल रोड झालावाड 3– हैदर अली उर्फ भययू पुत्र शौकत अली जाति मुसलमान आयु 25 साल निवासी नला मोहल्ला झालावाड 4– रहबर अली पुत्र खादिम अली जाति मुसलमान आयु 23 साल निवासी तांगा अडडा झालावाड 5– अकबर अली पुत्र खादिम अली जाति मुसलमान आयु 21 साल तांगा अडडा झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड